फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत –उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

वादीगण — बनाम — प्रतिवादीगण

[illegible]

[illegible]

किस्म मुकदमा:– राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट.1955 मु0न0 131/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
6/9/22	अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट.1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया है। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 18/10/22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत	
18/10/22	अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रति० प्रति० द्वारा [illegible] आयन्दा दिनांक 13/12/22 को [illegible] हो [illegible]	
13/12/22	अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने विद्वान न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण में आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है। लिहाजा अधिवक्ता वादी का उक्त वाद परिसीमन विद्वान खारीज किया जाने व नया वाद लाने का अधिकार सुरक्षित रखा जावे। विद्वान अधिवक्ता वादी का उक्त वाद नया वाद लाने के अधिकार सुरक्षित रखते हुए परिसीमन विद्वान खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार बाद तामील पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाता है।	